

आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोर्ड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 64/इंदौर/2024

निर्धारण वर्ष : 2017-18

उमर खान 34, जयसिंहपुरा रोड, उज्जैन	बनाम	आयकर अधिकारी वार्ड-1(2), उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं. एआईबीपीके 9459 एल PAN - AIBPK9459L		

अपीलार्थी की ओर से	:	सुश्री रुचिरा नेगी, एडवोकेट
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	:	08.08.2024
उद्घोषणा तिथि	:	09.08.2024

आदेश

श्री मनीष बोर्ड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 31.08.2023 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं। रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया है कि यह अपील 85 दिनों से कालबाधित है। इस संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती के विरुद्ध विभिन्न मुकदमों तथा न्यायिक कार्यवाहियों के कारण निर्धारिती को अपील दाखिल करने में विलंब हुआ जिससे संबंधित दस्तावेज निर्धारिती द्वारा अभिलेख पुस्तिका में दाखिल किए गए हैं। अतः उसने अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने का अनुरोध किया है। इस दावे के समर्थन में निर्धारिती द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है। मैंने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था। अतः इस अपील दाखिल करने में विलंब को माफ किया जाता है।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में विद्वान निर्धारण अधिकारी इसी तरह विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने निर्धारिती के विरुद्ध एक पक्षीय (Ex Parte) आदेश पारित किए गए हैं। निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती उसके विरुद्ध चल रहे विभिन्न मुकदमों तथा न्यायिक कार्यवाहियों के कारण विद्वान निर्धारण अधिकारी तथा विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष सुनवाई के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया था जो अभिलेख पुस्तिका में दाखिल संबंधित दस्तावेजों से स्पष्ट है। अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि निर्धारिती को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाए तथा इस अपील को नये सिरे से न्यायनिर्णयण हेतु विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाए। विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि इस अपील को विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मैं इस मामले को निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उचित न्यायनिर्णयण हेतु विद्वान क्षेत्राधिकार (jurisdictional) निर्धारण अधिकारी की फाईल में वापिस भेजना उचित समझता हूँ। मैं तदनुसार आदेश करता हूँ। निर्धारिती को भी विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाईयों में भाग लेना सुनिश्चित करने और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगने का निदेश दिया जाता है।

3. परिणामतः निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं।

यह आदेश 09.08.2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 09.08.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल